-1-

(86)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प भोपाल (म0प्र0)।

निग0 2741-5/15

प्रकरण क्रमांक : /2015 निगरानी.

(1) अलीमउद्दीन आयु 37 साल पुत्र श्री खलीकउद्दीन
(2) आसिफखाँ आयु 35 साल पुत्र श्री अनवरउद्दीन
निवासीगण ग्राम लायरा तहसील कुरवाई जिला विदिशा (म0प्र0) --- निगरानीकर्तागण

- बनाम -

(1) सहादतखाँ आयु 55 साल पुत्र श्री गप्पूखाँ
निवासी ग्राम लायरा तहसील कुरवाई जिला विदिशा (म0प्र0)। --- प्रतिप्रार्थी/आवेदक
(2) मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर महोदय,
विदिशा (म0प्र0) --- प्रतिप्रार्थी/अनावेदक

अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर
भोपाल संभाग, भोपाल

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू-राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 08-06-2015 राजस्व निरीक्षक प्रकरण क्रमांक 36/अ-12/14-15 सहादखाँ बनाम मध्यप्रदेश शासन.

माननीय महोदय,

निगरानीकर्तागण की निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

1- यह कि, निगरानीकर्तागण के स्वत्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि ग्राम लायरा पटवारी हल्का नंबर-07 तहसील कुरवाई जिला विदिशा (म0प्र0) में भूमि सर्वे क्रमांक 460/3 रकबा 0.722 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 460/4 रकबा 0.836 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 460/5 रकबा 0.993 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 462/6/2 रकबा 0.470 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 462/7 रकबा 0.679 हेक्टेयर सर्वे क्रमांक 463/3/1 रकबा रकबा 0.485 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 464/5 सर्वे सर्वे क्रमांक 465/5 रकबा 0.642 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 464/11/1 एवं सर्वे क्रमांक 465/11/1 रकबा 0.377 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 464/12 एवं सर्वे क्रमांक 465/12 रकबा 1.045 हेक्टेयर, के स्वामित्वधारी होकर हर वर्ष फसल प्राप्त करते चले आ रहे हैं । प्रतिप्रार्थी/आवेदक, निगरानीकर्तागण का सेंड़िया काश्तकार है ।

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 2741–एक/15 जिला – विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10.8.16	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, कुरवाई जिला विदिशा द्वारा प्र0क0 36/अ–12/14–15 में पारित आदेश दिनांक 8–6–15 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 सहायत खां द्वारा अपने खाते की ग्राम लायरा स्थित भूमि खसरानं. 463/2/2, 481/6, 481/10, 481/11 के सीमांकन किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया । उक्त आवेदन पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर राजस्व निरीक्षक ने पटवारी को सीमांकन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के आदेश दिये अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही कर पटवारी ने सीमांकन कर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । उक्त सीमांकन प्रतिवेदन की पुष्टि राजस्व निरीक्षक द्वारा 8.6.15 के आदेश द्वारा की है । राजस्व निरीक्षक के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 3– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से उन्हीं तर्कों को दोहराते हुए कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीमांकन की कार्यवाही सरहदी काश्तकारों को सूचना दिए बिना की गई है । यह भी कहा गया कि सीमांकन कार्यवाही में आवेदक की भूमि मनमाने तरीके से निकाल दी गई है ।	

निग० - 2741, I/15 (विदिशा)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

सीमांकन कार्यवाही विधिवत गढ़े हुये स्थाई मुनारों से जरीब डालकर की जाती है परंतु पटवारी ने चांदा, चीरा न होने के बाद भी सीमांकन विधि विरूद्ध कहा गया है । यह भी कहा गया कि अनावेदक ने 4 सर्वे नंबरों के सीमांकन हेतु आवेदन दिया था जबकि तीन सर्वे नंबरों का सीमांकन ही अनावेदक के कहे अनुसार किया गया है

4— अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

5— उभयपक्षों के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण सीमांकन का है । अभिलेख के अवलोकन से यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई सीमांकन की कार्यवाही विधिसंगत नहीं है । अभिलेख के अवलोकन से प्रकरण में सरहदी काश्तकारों को सूचना दिया जाना भी नहीं पाया जाता है । अभिलेख में जो सूचनापत्र संलग्न है उसमें 6 सरहदी काश्तकारों का उल्लेख है जबकि हस्ताक्षर तीन व्यक्तियों के हैं इसी प्रकार पंचनामा में सरहदी काश्तकारों की उपस्थिति का उल्लेख किंतु कौन—कौन सरहदी काश्तकार उपस्थित थे इसका उल्लेख नहीं है ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में की गई सीमांकन कार्यवाही को विधिसम्मत नहीं ठहराया जा सकता है । दर्शित परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश निरस्त करते हुए प्रकरण उन्हें इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे उभयपक्षों को विधिवत सूचना देकर तथा उनकी उपस्थिति में मौके पर जांच कर अनावेदकों द्वारा प्रस्तुत तरमीम आवेदन का

- 4 -

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 2741–एक/15 जिला – विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	विधिवत निराकरण किया जाये । उभयपक्ष सूचित हों । अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख वापिस हों । सदस्य	